(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :— 1. Deputy Director (Administration), Directorate of Extension —Chairman 2. Under Secretary (Extension), Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Deputy Director (Accounts), Directorate of Extension —Member 4. Representative of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes of equivalent Status —Member	Not applicable.

[F. No. 1-14/2014-Extn. (RRs)]

R. S. VERMA, Under Secy. (Extn.)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, सहायक तकनीकी सेवा (आरेखण कर्मचारीवृन्द) नियम, 1988 को जहां तक उनका संबंध प्रधान नक्शानवीश, नक्शानवीश श्रेणी-I और नक्शानवीश श्रेणी-2 के पदों से, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में प्रधान नक्शानवीश और नक्शानवीश श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे, सहायक तकनीकी सेवा (प्रधान नक्शानवीश और नक्शानवीश श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों,और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान नक्शानवीश	*05 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक । (**टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विधा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (सिविल या यांत्रिकी) में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (सिविल या यांत्रिकी) में डिप्लोमा और इसके साथ-साथ अधिमानतया केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग में नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** सही विधा भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी। **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मेंसक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(7)	
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / अन्तरण किया जाएगा
(10)	(11)
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती (कर्मचरी चयन आयोग के माध्यम से) द्वारा।	**प्रोन्नति** (i) वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा नक्शानवीश श्रेणी I जिसने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) नक्शानवीशी के क्षेत्र में जिसमें विनिर्दिष्ट तथा इंजीनियरी में कम्प्यूटर अनुप्रयोग भी है, प्रोन्नति से पूर्व आन्तरिक प्रशिक्षण स्तर 2 के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए प्रोन्नति की जाएगी। परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण के पूरा करने से छूट प्राप्त होंगे। परन्तु यह कि उन व्यक्तियों पर, जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी। **टिप्पण 1**-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक या एक से

	(11)
	अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है। **प्रतिनियुक्तिः** **केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः** (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में उस पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हता ं और अनुभव है । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे	—अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
2. निदेशक/उप सचिव (ई-II), जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य	
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान		

(12)	
केन्द्र (निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान, पुणे द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) ।	—सदस्य
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नक्शानवीश श्रेणी 1	*16 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (सिविल या यांत्रिकी) में डिप्लोमा । **टिप्पण 1:** सही विधा भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी। **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष।

(10)	(11)
(1) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (2) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से)	**प्रोन्नतिः–** (i) ऐसा नक्शानवीश श्रेणी-3 जिसने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2400 रु. में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) प्रोन्नति नक्शानवीशी के क्षेत्र में, विनिर्दिष्ट रूप से इंजीनियरी में कम्प्यूटर अनुप्रयोग को सम्मिलति करते हुए, प्रोन्नति से पूर्व आन्तरिक प्रशिक्षण स्तर 1 के पूरा होने के अध्यधीन होगी । परन्तु वे व्यक्ति, जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट प्राप्त होगी। परन्तु उन व्यक्तियों पर, जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, इस शर्त के आधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएगी। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पूनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापित ग्रेड है। उक्त वेतन आयोग की सिफारिशें पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति :- 1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (ई-II), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और
विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य

[फा. सं. 2/10/99-स्था.-II]

एस.के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th October, 2014

G.S.R. 223 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Service (Drawing Staff), Recruitments Rules, 1988, in so far as it relate to the posts of Head Draftsman, Draftsman Grade-I and Draftsman Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Draftsman and Draftsman Grade-I in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Head Draftsman and Draftsman Grade-I), Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Head Draftsman	*05 (2014) *(Subject to	General Central Service, Group	Pay band-2, ₹9300-	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note 1:** (Relaxable for Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	variation dependent on workload.	'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	34800 plus Grade pay of ₹ 4600		Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Degree in Engineering or Technology (Civil or Mechnical) in relevant discipline from a recognised University. Or Diploma in Engineering or Technology (Civil or Mechanical) from a recognised Board or University with three years experience as a Draftsman preferably in a Central or State Government Department. **Note :** The exact discipline shall be indicated at the time of Recruitment. **Note 1:** Qualification are relaxable of the discretion of the Competent Authority, for reason to be recorded in writing, in the case the candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reason to be recorded in writing, in case of candidated belonging to Schedules Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that the sufficient nember of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years for direct

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
100% By Promotion; failing which by Deputation (Including Short Term Contract) and failing both by Direct Recruitment (through Staff Selection Commission)	**Promotion:** (i) Draftsman Grade-I with five years regular service in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 rendered after appointment thereto on regular basis. (ii) Promotion shall be subject to completion of internal training "Level-2" in the field of Draftsmanship specifically including computer applications in engineering. Provided that those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of the Departmental Promotion Committee (DPC) will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of DPC. **Note 1:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors whould also be Considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Deputation :** Officer of the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

	(11)
	(ii) with five year's regular service in the pay band-2, ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruitment in column (7). **Note 1:** The Department Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not also be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt or applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee :— 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune, —Chairman 2. Director/Deputry Secretary (E-II), Ministry of Water Resources —Member 3. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune (to be nominated by Director, CWPRS, Pune-24) —Member 4. Chief Administrative Officer, CWPRS, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Draftsman Grade-I	*16 (2014) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Diploma in Engineering or Technology (Civil or Mechanical) from a recognised Board or University. **Note 1:** The exact discipline shall be indicated at the time of Recruitment. **Note 2:** Qualifications are relaxable of the discretion of the Competent Authority, for reason to be recorded in writing, in the case the candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Note Applicable	Two years

(10)	(11)
(i) 20% by promotion. (ii) 80% by Dierect recruitment (through Staff Selection Commission)	**Promotion:** (i) Draftsman Grade-III with ten years regular service in the Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400 rendered after appointment thereto on regular basis. (ii) Promotion shall be subject to completion of internal training Level-1 before promotion in the field of Draftsmanship specifically including computer applications in engineering:

	(11)
	Providing that those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training: Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of the Departmental Promotion Committee (DPC) will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of DPC. **Note 1:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors whould also be onsidered provided they are not short of the requisite qualifying or elibibility service by more than half of such qualifying or elibibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on Sixth Cnetral Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee :— 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Director/Deputry Secretary (E-II), Ministry of Water Resources —Member 3. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 2/10/99-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.